



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 467 राँची, बुधवार, 25 भाद्र, 1948 (श०)
16 सितम्बर, 2026 (ई०)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

4 अप्रैल, 2025

सं०:- स्वा०नि०/23/स्था०-01/2021-33(15)--भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ-

- यह नियमावली "झारखण्ड कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2025" कही जाएगी ।
- इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- यह झारखण्ड राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2 परिभाषाएं- इस नियमावली में जबतक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो-

- (i) **राज्य** :- "राज्य" से अभिप्रेत है "झारखण्ड राज्य"।
- (ii) **विभाग** :- "विभाग" से अभिप्रेत है "स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, रांची"।
- (iii) **संवर्ग** :- "संवर्ग" से अभिप्रेत है "झारखण्ड कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग"।
- (iv) **आयोग** :- "आयोग" से अभिप्रेत है "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग"।
- (v) **निदेशालय एवं अस्पताल** :- "निदेशालय एवं अस्पताल" से अभिप्रेत है "स्वास्थ्य निदेशालय सहित राज्य के मेडिकल कॉलेज, क्षेत्रीय अस्पताल, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, राजकीय औषधालय, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य अस्पताल"।
- (vi) **राज्य सरकार** :- "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है "झारखण्ड सरकार"।
- (vii) **नियुक्ति प्राधिकार** :- "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है "निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, झारखण्ड, रांची"।
- (viii) **वरीयता सूची** :- "वरीयता सूची" से अभिप्रेत है "स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा तैयार की गई झारखण्ड कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग के सदस्यों की वरीयता सूची"।
- (ix) **मेधा सूची** :- "मेधा सूची" से अभिप्रेत है "आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा सूची"।
- (x) **नियमावली** :- "नियमावली" से अभिप्रेत है "कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली-2025"।
- (xi) **संवर्ग नियंत्रण प्राधिकार** :- "संवर्ग नियंत्रण प्राधिकार" से अभिप्रेत है "निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, झारखण्ड, रांची"।
- (xii) **भर्ती वर्ष** :- "भर्ती वर्ष" से अभिप्रेत है "कैलेंडर वर्ष (पहली जनवरी से 31 दिसंबर)"।

3. संवर्ग की संरचना एवं बल

इस संवर्ग के सभी पद राज्य स्तरीय संवर्ग के पद होंगे। इस संवर्ग में प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा संवर्ग के कुल पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत की जायेगी।

विभाग के अधीन झारखण्ड कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगी :-

क्र०	पदनाम	छठा वेतनमान	सातवां वेतनमान	कुल पद प्रतिशत में
1	कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट (मूल पद)	(9300-34800) PB-II GP- 4200	Level- 6, Scale- 35400	65 %
2	ब्लॉक हेल्थ ऑफिसर (प्रोन्नति द्वारा)	(9300-34800) PB-II GP- 4600	Level- 7, Scale- 44900	20 %
3	डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर (प्रोन्नति द्वारा)	(9300-34800) PB-II GP- 4800	Level- 8, Scale- 47600	15 %

आवश्यकतानुसार उपरोक्त पदों की संख्या में पद सृजन के फलस्वरूप परिवर्तन किया जायेगा।

4. (क) कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग के पद पर भर्ती/नियुक्ति की प्रक्रिया-

- रिक्ति की गणना:- नियुक्ति प्राधिकार वर्ष के पहली जनवरी की स्थिति के आधार पर रिक्ति की गणना कर एवं प्रभावी आरक्षण कोटिवार रोस्टर क्लीयरेंस के उपरांत आरक्षण कोटिवार अधियाचना संबंधित आयोग को विभाग के माध्यम से 28/29 फरवरी तक भेजेगा।
- निदेशक प्रमुख द्वारा रिक्ति की अधियाचना विभाग के माध्यम से आयोग को भेजी जायेगी जिसके आलोक में आरक्षण कोटिवार चयनित उम्मीदवारों की मेधा क्रम में तैयार सूची आयोग स्वास्थ्य निदेशालय को उपलब्ध करायेगी।
- आरक्षण:- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार राज्य स्तरीय आरक्षण/रोस्टर एवं आरक्षण नीति का अनुपालन नियुक्ति में किया जायेगा।

(ख) शैक्षणिक योग्यता:-

- अनिवार्य योग्यता:- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता I.Sc/10+2 (जीव विज्ञान) में उत्तीर्णता के साथ राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी०एस०सी० (कम्युनिटी हेल्थ) कोर्स उत्तीर्ण।
- वांछित योग्यता:- इस संवर्ग के कर्मियों के लिए कम्प्यूटर के प्राथमिक स्तर (D.C.A) का सामान्य ज्ञान आवश्यक होगा।

(ग) उम्र सीमा:- न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर कोटिवार निर्धारित की जायेगी। अधियाचना वर्ष की पहली अगस्त को, उम्र के निर्धारण के प्रयोजनार्थ, “कट ऑफ डेट” माना जायेगा।

(घ) चयन प्रक्रिया:- कम्प्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग के मूल पदों पर नियुक्ति “झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली-2017 (समय-समय पर यथा-संशोधित)” के प्रावधानों के आलोक में की जायेगी।

(ङ) कम्प्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग के मूल कोटि के पदों पर चयन हेतु न्यूनतम अहर्ताक का निर्धारण “झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली-2017 (समय-समय पर यथा-संशोधित)” के प्रावधानानुसार होगा।

किसी उम्मीदवार या उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर योगदान नहीं देने या अन्य कारणों से रिक्तियाँ भरी नहीं जा सकने की स्थिति में ऐसी रिक्तियाँ अगली अध्यायना के लिए अग्रगणित की जायेगी।

5. परिवीक्षा की अवधि एवं प्रशिक्षण

सीधी नियुक्ति की तिथि से 02 वर्षों के लिए झारखण्ड कम्प्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग के कर्मी परिक्ष्यमान माने जायेंगे। इस अवधि में इन्हें राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा अन्य स्वास्थ्य योजनाओं के लिए कम से कम एक माह का प्रशिक्षण दिया जायेगा जिसकी व्यवस्था निदेशक प्रमुख द्वारा की जायेगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिये किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे कम्प्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट को सेवा मुक्त कर सकेगा।

6. सम्पुष्टि- परिवीक्षा अवधि एवं प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पणी एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने के उपरांत इनकी सेवा नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सम्पुष्ट की जायेगी।

प्रथम वेतन वृद्धिकारमिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने के उपरांत दी जायेगी एवं परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने के कारण वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध रहेगी जिसका बकाया देय नहीं होगा।

7. नियुक्ति- अध्याचित रिक्ति के विरुद्ध आयोग द्वारा आवंटित उम्मीदवारों की नियुक्ति की अनुशंसा में रखे गये मेधासूची के क्रमानुसार निदेशक प्रमुख द्वारा झारखण्ड कम्प्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग के मूल पद पर की जायेगी।

8. वरीयता-

- (i) कम्प्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग के सदस्यों की आपसी वरीयता आयोग द्वारा अंतिम रूप से तैयार की गयी मेधासूची के अनुसार अवधारित की जायेगी।

- (ii) पूर्व से कार्यरत कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग के सदस्यों की पारस्परिक वरीयता उनके द्वारा पूर्व से धारित वरीयता के अनुसार अवधारित की जायेगी।
- (iii) नियुक्त कर्मियों की वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

9. प्रोन्नति

झारखण्ड कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार सीधी नियुक्ति की जायेगी एवं संवर्ग के उच्चतर पद इसी पद से प्रोन्नति द्वारा भरे जाएंगे।

- (i) संवर्गीय संरचना में विभिन्न पद के निम्नस्तर से उच्चतर पद पर प्रोन्नति वरीयता-सह-योग्यता (Seniority-cum-Merit), संतोषजनक कार्य, चारित्रिक अभ्युक्तियों के संतोषजनक होने एवं वार्षिक कार्य मूल्यांकन के आधार पर यथावर्णित नियमानुसार दी जायेगी। पदों का कोटिवार (Category wise) प्रोन्नति सक्षम नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।
- (ii) प्रोन्नत कर्मियों की पारस्परिक वरीयता एतद् विषय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के अनुसार होगी।
- (iii) **कालावधि-** संवर्गीय उच्चतर पदों पर प्रोन्नति के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत कालावधि विषयक प्रावधान प्रभावी होंगे।
- (iv) प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियम एवं रोस्टर लागू होगा तथा तदनुसार प्रोन्नति हेतु पद का आरक्षण कोटिवार कर्णाकण नियमानुसार नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।
- (v) रिक्तियों का आकलन प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी को आधार मानकर किया जायेगा।
- (vi) **प्रोन्नति की प्रक्रिया-** झारखण्ड कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग के पदों पर प्रोन्नति विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर विचारणीय होगी। प्रोन्नति समिति का स्वरूप निम्नवत् होगा :-

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, झारखण्ड, रांची | -अध्यक्ष |
| 2 | उप सचिव/अवर सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, रांची | -सदस्य |
| 3 | कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मनोनीत सदस्य | -सदस्य |

10. पदस्थापन/स्थानान्तरण:- निदेशक प्रमुख संवर्ग के सभी कोटि के सदस्यों का स्थानान्तरण/पदस्थापन कर सकेगें।

11. अवकाश /चरित्र पुस्तिका/सेवापुस्त आदि के संबंध में समय-समय पर इस हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेश प्रभावी रहेंगे।

12. **प्रशासनिक नियंत्रण:-** निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड इस संवर्ग के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकार होंगे।

13. **अनुशासनिक कार्रवाई:-** झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 (समय-समय पर यथा-संशोधित) के अधीन होगी।

14. **विनियमन:-** स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची इन नियमों को प्रभावी बनाने के लिए इन नियमों से असंगत एवं ऐसी सभी बातों को उपलब्ध कराने के लिए जो आवश्यक या समीचीन हो, विनियमन बना सकेगा।

15. **अवशिष्ट मामलें:-** ऐसे मामलों के बारे में जो विनिर्दिष्टतः इन नियमों या विनियमों अथवा एतद्धीन बनाये गये या निर्गत किये आदेशों या विशेष आदेशों में नहीं आते हैं तब तक सेवा के सदस्य राज्य सिविल सेवा के लिए लागू सामान्य नियमों, विनियमों एवं आदेशों द्वारा शासित होंगे।

16. **प्रकीर्ण-**

- (i) अन्य मामले जिनके संबंध में उपर के खण्डों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उनमें झारखण्ड सेवा संहिता अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू अन्य वैधानिक प्रावधान लागू होंगे। कर्मचारियों को विहित नियमों के अधीन यह सुविधा देने की शक्ति संवर्ग के नियंत्री पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को होगी।
- (ii) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस नियमावली को विखंडित कर सकेगी या इसमें संशोधन कर सकेगी या इस नियमावली के नियमों को स्पष्ट कर सकेगी या उसे लागू करने में उत्पन्न त्रुटियों को दूर कर सकेगी।
- (iii) सरकार के आरक्षण अधिनियम और सरकार द्वारा समय-समय पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- (iv) संवर्ग के पदों पर इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से पूर्व में नियुक्त/प्रोन्नत एवं कार्यरत कर्मी इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।
- (v) राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्गत कोई स्पष्टीकरण या कार्यपालक आदेश इस नियमावली का अंग माना जायेगा।

17. **निर्वचन-** यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में कोई संशय हो तो मामला विभाग में निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

18. **निरसन एवं व्यावृत्ति**

- (i) इस नियमावली के विषयों पर पूर्व में निर्गत कोई नियमावली/विनियम/अनुदेश/आदेश इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित माने जायेंगे।

- (ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उल्लिखित नियमावली/विनियम/अनुदेश/आदेश द्वारा या उसके अधीन व्यक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह

सरकार के अपर मुख्य सचिव
